**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4736**

**दिनांक 29.03.2023 को उत्तर देने के लिए**

**उमरिया के लिए डीएमएफ**

**4736. श्रीमती हिमाद्री सिंह:**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान शहडोल संसदीय क्षेत्र में जिला उमरिया के लिए जिला खनिज फाउंडेशन निधि (डीएमएफ) के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) वित्तीय वर्ष-वार स्वीकृत निधियों में से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

**उत्तर**

**खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

(क) एवं (ख): जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बजट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। डीएमएफ को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के निश्चित प्रतिशत के अनुसार खनन पट्टा धारकों से प्राप्त सांविधिक अंशदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उमरिया जिले में विगत तीन वित्त वर्षों में डीएमएफ के तहत संचित निधियां निम्नानुसार है –

| **डीएमएफ उमरिया** | | |
|---|---|---|
| **क्र सं** | **वित्त वर्ष** | **निधि संग्रह (करोड़ रुपए में)** |
| 1. | 2020-21 | 8.34 |
| 2. | 2021-22 | 12.39 |
| 3. | 2022-23 | 9.46 |
| | **कुल** | **30.19** |

********